In the Court of Circle Officer, Khuntpani,

Encroachment Case No – 01/2020 – 21

अतिक्रमणकारी का नाम – श्री कीना पुरती, पिता – स्व० सामु पुरती

आदेश

यह वाद श्री कीना पुरती, पिता – स्व० सामु पुरती, ग्राम – कुस्तुईया, थाना – मुफ्फसिल, जिला प० सिंहभूम के विरूद्ध सरकारी भूमि के अतिक्रमण के संबंध में प्राप्त सूचना के उपरान्त Jharkhand Public Land Encroachment Act, 1956 के अन्तर्गत दायर किया गया है। अंचल कार्यालय के संबंधित हल्का के राजस्व उपनिरीक्षक, प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अमीन के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर श्री कीना पुरती, पिता – स्व० सामु पुरती, ग्राम – कुस्तुईया के खूँटपानी अंचल के थाना सं० – 36, मौजा – कुस्तुईया, खाता सं० – 01, प्लॉट सं० – 971, रकवा – 04 डिसमिल जमीन किस्म – पुरानी परती की सरकारी भूमि के अतिक्रमण के संबंध में Jharkhand Public Land Encroachment Act, 1956 (JPLE Act 1956) के Section 3 के अनतर्गत From – 1 में तीन दिनांक – 25/08/2020, 24/09/2020 एवं दिनांक – 10/10/2020 को Notice निर्गत किया गया है। निर्गत Notice का तामिला प्राप्त हुआ है। JPLE Act 1956 के Section – 4 के अन्तर्गत O.P श्री कीना पुरती, के अधिवक्ता द्वारा दिनांक :– 12/11/2020 को Show Couse File किया गया है। जिसमें श्री कीना पुरती का उक्त सरकारी भूमि पर अपने दादा के समय से निवास करने की बात कही गई है। श्री कीना पुरती के द्वारा अपर उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय में उक्त भूमि की बन्दोबस्ती हेतु आवेदन करने की सूचना इस Show Couse में दी गई है, परन्तु इस बन्दोबस्ती हेतु आवेदन की प्रति इस अंचल कार्यालय को अप्राप्त है। श्री कीना पुरती, पिता – स्व० सामु पुरती, के द्वारा उक्त प्लॉट पर गृह निर्माण कर निवास करने के संबंध में Ration Card की छायाप्रति तथा Jharkhand State Electricity Board Sub Division Ckp (khuntpani) का Electricity Bill दिनांक – 16/07/2008 Bill No – 133 माह – 06/2008, Consumer No – CKP N2 – KTY – 32 की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है। परन्तु श्री कीना पुरती द्वारा किसी प्रकार का राजस्व संबंधी दस्तावेज प्रस्ततु नहीं किया गया है। उक्त सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में संबंधित ग्राम के मुण्डा इलाका मानकी, संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अमीन के जाँच प्रतिवेदन एवं नक्शा के अनुसार खूँटपानी अंचल के थाना सं० – 36, मौजा – कुस्तुईया खाता सं० – 01, प्लॉट सं० – 971, रकवा – 04 डिसमिल जमीन किस्म – पुरानी परती सरकारी जमीन है तथा इस पर श्री कीना पुरती, पिता – स्व० सामु पुरती के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक, प्रभारी अंचल निरीक्षक ग्रामीण मुण्डा एवं इलाका मानकी का जाँच प्रतिवेदन उक्त भूमि पर श्री कीना पुरती के दादा के समय से अतिक्रमण एवं दखल की पुष्टि करता है। राजस्व उपनिरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन में उक्त सरकारी जमीन का खतियान की छायाप्रति तथा श्री कीना पुरती के रैयती भूमि के खतियान की छायाप्रति समर्पित किया गया है। राजस्व उपनिरीक्षक

O/C
[illegible]
1-2-21

एवं ग्रामीण मुण्डा के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार श्री कीना पुरती एवं इनके रिश्तेदार माँगु पुरती एवं अन्य के संयुक्त दखल में थाना सं० – 36, मौजा – कुस्तुईया खाता सं० – 99, कुल रकवा – 6 एकड़ 33 डिसमिल की रैयत भूमि है। परन्तु मानकी के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार श्री कीना पुरती, पिता – स्व० सामु पुरती का संयुक्त खतियान सामु हो तथा सिदिऊ हो पिता – नाथो हो, मागु हो तथा हाडी हो पिता – चुम्बरू हो के नाम से खाता सं० – 52, 99, 199, 200 में कुल 15. 7 एकड़ रैयती जमीन दर्ज है।

अतः JPLE Act 1956 के Section – 6 (I) (e) के अनुसार यदि किसी भूमिहीन व्यक्ति के द्वारा 10 अक्टूबर 1955 के पूर्व से 12.5 डिसमिल तक की सरकारी भूमि का अतिक्रमण किया जाता है तो उसके विरूद्ध किसी प्रकार की कारवाई इस Act के अन्तर्गत नहीं किया जाना है। इस Act के अन्तर्गत भूमिहीन व्यक्ति को परिभाषित किया गया है वैसे व्यक्ति जिसका जीविकोपार्जन का श्रोत कृषि हो अथवा वह कृषक मजदूर हो तथा उसके पास या तो कोई भी भूमि नहीं हो या एक एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं हो।

ग्रामीण मुण्डा, मानकी एवं राजस्व उपनिरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार श्री कीना पुरती एवं इनके रिश्तेदार के संयुक्त दखल में 13.70 एकड़ रैयती भूमि है तथा राजस्व उपनिरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार आपसी बँटवारे में श्री कीना पुरती के हिस्से में लगभग 77.97 डिसमील जमीन आती है। परन्तु उक्त सरकारी जमीन पर श्री कीना पुरती का उनके दादा के समय से दखल है तथा प्रस्तवु खतियान के अनुसार इनके दादा के हिस्से में वर्ष 1963–94 में लगभग एक एकड़ से ज्यादा रैयती भूमि थी। अतः JPLE Act 1956 के अनुसार श्री कीना पुरती का उक्त सरकारी भूमि पर अपने दादा के समय से दखल होने के बावजूद यह सरकारी भूमि का अतिक्रमण साबित होता है।

अतः श्री कीना पुरती पिता – स्व० सामु पुरती ग्राम – कुस्तुईया को थाना सं० – 36, मौजा – कुस्तुईया, खाता सं० – 01, प्लॉट सं० – 971, रकवा – 04 डिसमिल की सरकारी भूमि से दो सप्ताह (Two Weeks) के अन्दर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया जाता है यदि उक्त अवधि के अन्दर श्री कीना पुरती अतिक्रमण नहीं हटाते है तो उक्त भूमि पर अवस्थित किसी भी प्रकार के संरचना Structure को forfeit (जब्त) कर लिय जाएगा। Jharkhand Public Land Encroachment Act, 1956 के Section – 6 (2) के अन्तर्गत Form – II में Notice निर्गत करें। अभिलेख 15 / 02 / 2021 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं सत्यापित

21/01/2021

अंचल अधिकारी
खूँटपानी

21/01/2021

अंचल अधिकारी
खूँटपानी।

FORM II

Form of notice under Sub- section (2) of Section 6 of the Jharkhand Public Land Encroachment Act, 1956

Shri **Kina Purty** son of **Late Samu Purty** resident of Village **Kustuya** ThanaNo **36** P.S **Muffsail** District **West Singhbhum.**

Whereas an order has been passed under clause (c) of sub-section (1) of section 5 of the Jharkhand public Land Encroachment Act, 1956. For removal of encroachment from Plot No **971** area **04 Decimal** of Village **Kustuya** ThanaNo **36** P.S **Muffsail** District **West Singhbhum** which has been found to be a public land as defined in sub- section (5) of section 2 of the Act; you are hereby called upon to comply with the order within a period of 2 Weeks

2. Take notice that in case of disobedience you shall be liable to the penalty provided by section 188 of the Indian Penal Code, 1860 (XLV of 1860)

Date 29/01/2021

29/01/2021
Collector.

Digitally signed by RAVI KUMAR ANAND
Date: 2021.07.08 17:04:12 +05:30
Location: 10.93.66.35